

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2149/2026

Sagar Singh S/o Bohad Singh, Aged About 25 Years, R/o
Kharchack (Kilawali) Tehsil Sardulshahar Sriganganagar

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Umesh Kant Vyas
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना— सादुलशहर, जिला— गंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 429/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 331(6), 191(2), 191(3), 190 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। आहत को कारित कोई भी चोट प्राणघातक होना नहीं पाई गई है। प्रकरण में परिवादी पक्ष व प्रार्थी पक्ष के मध्य परस्पर कचरा फैलाने को लेकर विवाद रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तत्पर है तथा प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली के प्रस्तुत की गई।

विद्वान् लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश करने के उपरांत आहत सुखप्रीत कौर के साथ मारपीट कारित कर उसे

चोटें कारित की गई हैं और इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त से डंडे की बरामदगी होना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और गिरफ्तारी से रूहपोश हो रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आहत सुखप्रीत कौर को कारित चोट अंगूठे पर पाई गई है और उक्त चोट मामूली होना स्वयं आहत सुखप्रीत कौर द्वारा उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। आहत को कारित चोटों की प्रकृति व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए की प्रार्थी/अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सागर सिंह पुत्र बोहड़ सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना— सादुलशहर, जिला— गंगानगर को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने की सूरत में यदि प्रार्थी/अभियुक्त उनके संतोषप्रद पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध—पत्र तथा पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जावे:—

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष: अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J